

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 12-14/2009/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3-4-2013

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन)नियम, 1996 में संशोधन ।
संदर्भ- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12-14/2009/नियम/चार, दिनांक 5 फरवरी, 2013.

विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना के द्वारा पेंशन सारांशीकृत राशि को सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पश्चात् आगामी माह के प्रथम दिन को प्रत्यावर्तित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । यह निर्देश इस आधार पर है कि सामान्यतः सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात् पेंशन सारांशीकृत राशि एक मुश्त भुगतान की जाती है । इस एकमुश्त राशि का समायोजन आगे आने वाले 15 वर्षों में पूर्ण हो जाता है ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय पेंशनर शासन द्वारा जारी किये गये नये कम्प्यूटेशन टेबल का लाभ उठाकर अपनी पेंशन को सारांशीकृत कराना चाह रहे हैं । ऐसी स्थिति में यदि 15 वर्ष की अवधि उनके सेवानिवृत्ति की तारीख से संगणित की जाती है, तो उन्हें सारांशीकृत राशि का एकमुश्त भुगतान तो हो जावेगा, परंतु ऐसे पेंशनरों की सारांशीकृत राशि अपेक्षाकृत कम समय में प्रत्यावर्तित हो जावेगी, जो उचित नहीं है । कतिपय मामलों में यह अवधि 5 वर्ष तक ही रह सकती है ।

3/ उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 12-4/2009/नियम/चार दिनांक 5-2-2013 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में "सेवानिवृत्ति" के स्थान पर "सारांशीकरण" शब्दों का संशोधन किया जावे । निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी किये गये संशोधन की अधिसूचना भी संलग्न है । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन का आशय मूल पेंशन से है न कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार(भाग-1) दिनांक 3 अगस्त, 2009 द्वारा समेकित पेंशन से ।

4/ संलग्न अधिसूचना के फलस्वरूप अब सारांशीकृत राशि का प्रत्यावर्तन सारांशीकरण, की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने के अगले माह की प्रथम तारीख से, संभव हो सकेगा । यह आदेश/अधिसूचना दिनांक 5-2-2013 से प्रभावशील है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 3-4-2013

क्रमांक: एफ12-14/2009/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-10 के उपनियम (1) की दूसरी पंक्ति में "सेवानिवृत्ति" के स्थान पर "सारांशीकरण" पढ़ा जावे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

क्रमांक : एफ 12-14/2009/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3-4-2013

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
21. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
28. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya, Bhopal


Bhopal, dated ~~3rd~~ 2013

No. F-12-14/2009/Rule/IV, In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1996. namely:-

AMENDMENT

In the said rules in the sub-rule (1) of Rule 10, in the fourth line, for word "Retirement" the word " Commutation " shall be substituted .

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh



(Manish Rastogi)
Secretary,
To Government of Madhya Pradesh
Finance Department